मानचित्र अनुज्ञा हेतु सूचनाऐं एवं आवेदक दस्तावेज का विवरण

प्राधिकरण की योजनाओ में

1. आवेदन पत्र (सेडयूल फार्म)
2. लीज डीड/फ्री होल्ड डीड/ लाईसेंस डीड/रजिस्ट्री, कब्जा प्रमाण पत्र रजिस्ट्री के साथ जारी साईट प्लान की प्रति
3. मानचित्र की चार प्रति
4. जमा किये जाने वाले मानचित्रो में “की प्लान ” महायोजना में मानचित्र की स्थिति,सर्विसेज प्लान की प्रति
5. समस्त मानचित्र अनुज्ञाप्ति वास्तुविद द्वारा तैयार किये जायेगे और उनके द्वारा नाम,पता,योग्यता प्राधिकरण की अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेगे। इसके अतिरिक्त भू/भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होगे।
6. प्राधिकरण की योजनाओ तथा स्वीकृत तलपट मानचित्रो के 300 वर्ग मी0 तक के आवासीय भूखण्ड 30 दिन के अन्तर्गत तथा 300 वर्ग मी0 से बड़े आवासीय,व्यवसायिक व अन्य प्रकृति के भवनो की स्वीकृति 90 दिन के अन्दर अन्तिम रूप से निस्तारित होगी।

अन्य क्षेत्रो/ योजनाओ में

आवेदन पत्र यथा स्थिति निम्नलिखित सूचनाऐ एवं दस्तावेजो के साथ जमा किया जायेगा।

1. आवेदन पत्र (सेडयूल फार्म)
2. आवेदक के स्वामित्व समर्थक दस्तावेज की प्रति तथा खतौनी की प्रति
3. साईट प्लान (जिसमें भूखण्ड संख्या और क्षेत्रफल/भवन की संख्या,गॉव,मोहल्ला आदि का उल्लेख करना होगा)
4. नजूल अथवा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमि होने की दशा में सम्बन्धित विभाग की फ्रीहोल्ड डीड अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र
5. महायोजना/जोनल प्लान में भूमि की स्थिति
6. मानचित्र की छः प्रति
7. समस्त मानचित्र अनुज्ञाप्ति वास्तुविद द्वारा तैयार किये जायेगे और उनके द्वारा नाम,पता,योग्यता प्राधिकरण की अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेगे। इसके अतिरिक्त भू/भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होगे।
8. निजी/सहकारी संस्थाओ द्वारा स्वीकृत कराये गये तलपट मानचित्रो के 300 वर्ग मी0 तक के आवासीय भूखण्ड 30 दिन के अन्तर्गत तथा 300 वर्ग मी0 से बड़े आवासीय,व्यवसायिक व अन्य प्रकृति के भवनो की स्वीकृति 90 दिन के अन्दर अन्तिम रूप से निस्तारित होगी।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com